

Order Sheet [Contd]

Case No 166 / 2017 बी.ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>03.05.17</p> <p>आवेदक/आरोपी नीरज की ओर से श्री जी.एस. निगम अधिवक्ता द्वारा एक आवेदनपत्र प्रकरण शीघ्र सुनवाई में लेने बावत् पेश कर निवेदन किया कि आवेदक की ओर से द्वितीय जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 पेश करना है। अतः प्रकरण शीघ्र सुनवाई में लिए जाने बावत् निवेदन किया गया।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। विचारोपरांत प्रकरण सुनवाई में लिया गया।</p> <p>राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक।</p> <p>आवेदक/आरोपी की ओर से अधि. श्री जी0एस0 निगम द्वारा द्वितीय नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 का पेश कर निवेदन किया कि आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र दिनांक 11.03.2017 को निरस्त किया गया है, उस समय प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण नहीं हुआ था। वर्तमान में अनुसंधान पूर्ण होकर चालान न्यायालय में पेश किया जा चुका है जिसमें कि 09.05.17 तिथि नियत है। अभियोक्त्री के द्वारा अपने 164 दं.प्र.सं. के कथनों में आवेदक के द्वारा बलात्कार करने के तथ्य की पुष्टि नहीं की है तथा अभियोक्त्री की उम्र चिकित्सीय रिपोर्ट के अनुसार 18 वर्ष की है। आवेदक निर्दोष है जो कि काफी लम्बे समय से अभिरक्षा में है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। आवेदक जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। अतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत द्वितीय नियमित जमानत आवेदनपत्र स्वीकार कर उचित प्रतिभूति पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया गया।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है कि घटना दिनांक को फरियादिया 18 वर्ष से अधिक आयु की थी। चिकित्सीय परीक्षण से बलात्संग की पुष्टि नहीं हुई है, प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर अभियोगपत्र प्रस्तुत किया जा चुका है एवं फरियादिया</p>	

ने धारा 164 सी.आर.पी.सी के अंतर्गत कथन में बलात्कार होने संबंधी तथ्य की पुष्टि नहीं की है और इसी आधार पर यह द्वितीय जमानत आवेदनपत्र स्वीकार कर जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि आवेदक/अभियुक्त पर अवयस्क अभियोक्त्री को घर से बहकाकर ले जाने एवं उसके साथ लैंगिक हमला कारित करने का आरोप है। जहाँ तक आयु का संबंध है, प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार अभियोक्त्री की जन्मतिथि 23.06.2002 है, जबकि घटना दिनांक 27.02.2017 की है। जहाँ तक उम्र का संबंध है यह गुण दोष का विषय है। वर्तमान में अभियोक्त्री को अवयस्क दर्शाया गया है। आवेदक/आरोपी का प्रथम जमानत आवेदनपत्र गुण दोष के आधार पर निरस्त किया जा चुका है। अभियोगपत्र प्रस्तुत किया जाना प्रकरण की परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं माना जा सकता है।

अतः प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय नियमित जमानत आवेदनपत्र स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है।

प्रकरण पूर्ववत आरोप तर्क हेतु दिनांक 09.05.20.17 को पेश हो।

वीरेन्द्र सिंह राजपूत
ए.एस.जे. गोहद

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)